संख्या:-51/2021/106आ0/23-5-21-23(भवन)/2020टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0)
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद वाराणसी, मीरजापुर, मऊ व कानपुर देहात के 06 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद वाराणसी, मीरजापुर, मऊ व कानपुर देहात के 06 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन **लागत रू0 94.04 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष स्तम्भ-6 में उल्लिखित विवरणानुसार **प्रथम किश्त के रूप में रू0 01.78 लाख (रू0 एक लाख अठहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
				(धनराशि लाख रू0 में)	
1	1064बाजोबा/112बाजोबा/वाराणसी/निरीक्षण-गृह/अना0/20-21, दिनांक 09.02.2021	वाराणसी	श्री मारकण्डे महादेव कैथी स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह के मरम्मत का कार्य।	11.80	00.28
2	628बाजोबा/112बाजोबा/(वि0/या0)/सर्किट हाउस(पुराना)/वाराणसी/अना0/19-20, दिनांक 09.03.2021	वाराणसी	सर्किट हाउस(पुराना) वाराणसी में वाह्य प्रकाश व्यवस्था एवं लान के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	18.34	00.30
3	1213बाजोबा/112बाजोबा/मीरजापुर/अना0-2/2019-20,दि0 24.02.2021	मीरजापुर	मीरजापुर क्षेत्र के निरीक्षण भवन/मुख्य अभियन्ता कार्यालय में मरम्मत का कार्य।	18.85	00.30
4	943बाजोबा/112बाजोबा/मीरजापुर/कार्यालय भवन/अना0/20-21, दिनांक 04.03.2021	मीरजापुर	अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त, लो0नि0वि0, मीरजापुर कार्यालय के विशेष मरम्मत का कार्य।	17.23	00.30
5	71बाजोबा/112बाजोबा/आजमगढ़/मऊ/अना0/2019-20, दिनांक 01.01.2021	मऊ	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन मऊ का जीर्णोद्धार एवं विशेष मरम्मत का कार्य।	13.37	00.30
6	1098बाजोबा/112बाजोबा/कानपुर/निरीक्षण भवन/अना0/20-21, दिनांक 25.02.2021	कानपुर देहात	कानपुर देहात में माती मुख्यालय स्थित लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन की विशेष मरम्मत का कार्य।	14.45	00.30
			कुल योग :-	**94.04**	**01.78**

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-06-सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:-51/2021/106आ0(1)/23-5-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त वाराणसी, मीरजापुर, आजमगढ़ व कानपुर।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी, मीरजापुर, मऊ व कानपुर देहात।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 विभागीय मंत्री जी, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, मीरजापुर क्षेत्र, आजमगढ़ क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, 44वां(वि0/यॉ0) वृत्त, मीरजापुर वृत्त, बलिया वृत्त, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
12- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
15- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मऊ।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर देहात।
17- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
18- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in